तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3123/2004/अलवर मूर्ति मंदिर दाउजी महाराज बनाम भौरा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.8.19	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** उपस्थित श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अप्रार्थीगण **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–01–82 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी मूर्ति मंदिर की ओर से पुजारी देवकीनन्दन ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 180 के तहत एक प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलेक्टर, लक्ष्मणगढ के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि मूर्ति मंदिर नाबालिग की होने व उनकी खुदकाश्त की होने से अप्रार्थीगण से काश्त करवायी जा रही थी किन्तु अप्रार्थीगण विवादित भूमि न तो प्रार्थी को लौटा रहे है और न ही हासिल दे रहे है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जबाव देते हुये प्रार्थना पत्र के कथनों अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र व जबाव प्रार्थना पत्र के आधार पर 8 तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय दिनांक 08.7.76 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय से ग्रसित होकर प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गयी। दौराने अपील रेस्पो0संख्या 10 मोहरपाल की मृत्यु हो गयी थी। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र 22 नियम 4 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत नहीं किये जाने पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 14.11.79 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुये रेस्पो0संख्या 10 मोहरपाल तक के हिस्से तक अपील	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3123/2004/अलवर मूर्ति मंदिर दाउजी महाराज बनाम भौरा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अबेट कर दी गयी। प्रार्थी ने इस दौरान एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 प्रस्तुत करते हुये मोहरपाल के विरूद्ध दावा अबेट कराने के पूर्व निर्णय दिनांक 14.11.79 को निरस्त करवाने का निवेदन किया। तत्पपश्चात न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 27.01.82 द्वारा प्रार्थी की अपील मोहरपाल के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिये जाने से सम्पूर्ण अपील अबेट होना मानते हुये खारिज कर दी। अपील अधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 27.01.82 से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गयी है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्राथमिक आपत्ति पेश करते हुये निवेदन किया कि प्रस्तुत निगरानी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 27.01.82 के करीब 22 वर्ष पश्चात वर्ष 2004 में मंडल में प्रस्तुत की गयी है, जो एक अति विलम्ब की श्रेणी में आता है। अतः प्रस्तुत निगरानी को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज जाना चाहिए। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 1998 ए0आई0आर0 पेज 2276 एस0सी0, 2010 आर0बी0जे0 (16) पेज 8 एस0सी0, 2007 आर0बी0जे0 (14) पेज 438 एस0सी0, 2009 डी0एर0जे0(1) पेज 215 एच0सी0 आदि के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। हमारे द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी द्वारा वर्णित किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय शिडयूल में निगरानी के लिए समयावधि नन बताई गई हैं। जैसा कि काश्तकारी अधिनियम की शिडयूल 3 के आइटम 77 के कॉलम नंबर 4 से स्पष्ट है। साथ ही प्रार्थी द्वारा उसके पिता की असाध्य बीमारी से पीडित होना एवं उसके पश्चात उनका देहांत हो जाना एवं स्वयं का उत्तर प्रदेश में नौकरी करना आदि कारण बताये गये है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3123/2004/अलवर मूर्ति मंदिर दाउजी महाराज बनाम भौरा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी द्वारा मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में बताये गये उपरोक्त सभी कारण संतोषजनक पाये जाते है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि निगरानी प्रस्तुत करने में देरी हो जाती है और ऐसी देरी को कन्डोन करने से पक्षकारों के हितों व विधिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है तो ऐसी देरी को कन्डोन किया जा सकता है। अतः उक्त आधार पर प्रकरण में मेरिट पर निर्णय अपेक्षित होने से अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी में सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण/रेस्पो0 विवादित आराजी पर बहैसियत अतिक्रमी है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील केवल मोहरपाल के विरूद्व ही अबेट होगी दूसरे रेस्पो0 के विरूद्व नहीं क्योंकि जमाबंदी के अनुसार सभी रेस्पो0 के अलग अलग हिस्से है जैसा की जमाबंदी संवत 2017–2020 से स्पष्ट है। इसके अनुसार मोहरपाल व पून्या पुत्रगण बंशी बहिस्सा बराबर 1/8 अंकित है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि रेस्पो0/अप्रार्थीगण के हिस्से जहां वर्णित हो वहा केवल एक हिस्सेदार की मृत्यु पर केवल उसी हिस्सेदार के विरूद्व अपील अबेट होती है। यदि प्रार्थी/अपीलांट चाहता तो मोहरपाल को दावे में पार्टी नही बनाता, उस स्थिति में भी अपील चल सकती थी। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में निवेदन किया कि मोहरपाल के हिस्से के अलावा शेष रेस्पो0/अप्रार्थीगण जिनके पास विवादित आराजी है उन्हें बदेखल करवाने का प्रार्थी/अपीलांट को पूर्ण अधिकारी प्राप्त है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3123/2004/अलवर मूर्ति मंदिर दाउजी महाराज बनाम भौरा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्वीकार करते हुये अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अप्रार्थीगण को आराजी सम्मिलित रूप से काश्त के लिए दी गई है न कि पृथक–पृथक हिस्से के अनुसार। यदि पृथक–पृथक हिस्से काश्त के लिए रेस्पो0 को बताये जाते तो अकेले मोहरपाल के विरूद्ध अपील अबेट हो सकती थी, परन्तु वर्तमान स्थिति में जबकि अप्रार्थीगण को सम्मलित कब्जा था तो अपील पूर्ण रूप से ही अबेट होगी। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि समस्त विवादित आराजी अप्रार्थीगण के सम्मिलित कब्जे की है। मृतक मोहरपाल के पास पृथक से कौनसी आराजी थी यह भी सिद्ध नहीं है। जहां विवादित आराजी सम्मिलित कब्जे की हो और किसी एक व्यक्ति के मर जाने तथा उसके वारिसान को निश्चित अवधि पर रिकार्ड पर न लाने पर सम्पूर्ण अपील ही अबेट मानी जाती है। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अतं निवेदन किया कि अपील अधिकारी ने जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत व सही है। अतः प्रस्तुत निगरानी को इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी व पत्रावली व प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

पत्रावली व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियां मूर्ति मंदिर से संबधित होने कार प्रकरण है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आते है इन भूमियों पर विधिक प्रावधानों के आधार पर ही खातेदारी संभव हो पाती है अन्यथा खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर ने इसी प्रकरण में अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3123/2004/अलवर मूर्ति मंदिर दाउजी महाराज बनाम भौरा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14.11.79 को पारित निर्णय में केवल मृतक रेस्पो0 मोहरपाल के विरूद्ध ही अपील अबेट रहने का आदेश पारित किया गया था।इस आदेश के विद्यमान रहते हुये दिनांक 27.01.82 के निर्णय में उसके विपरीत आदेश पारित कर सम्पूर्ण अपील को ही अबेट कर दिया गया है, जो पूर्णतया विरोधोभासी निर्णय है। इस विरोधाभासी निर्णय के सबंध में किसी प्रकार का कोई मान्य समुचित विधिक आधार भी निर्णय में अंकित करना नहीं पाया जाता है। अतः उक्त समस्त तथ्यों व विधिक स्थिति के मध्यनजर वादग्रस्त भूमियों में मूर्ति मंदिर जो शाश्वत नाबालिग की श्रेणी आते है, के संबध में विधिक आधारों का मैरिट पर पूर्ण परीक्षण व विवेचन करने के उपरांत ही न्यायोचित निर्णय अपेक्षित है। परिणामतः निगरानी प्रकरण आंशिक स्वीकार किया जाकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.82 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण मूल ही न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः गुणावगुण पर प्रकरण को निर्णित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	